भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *269

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड

*269 डा. जॉन ब्रिटास:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने की मूल समय-सीमा क्या थी;

(ग) इस परियोजना में वर्तमान में क्या बाधाएं हैं;

(घ) क्या यह सच है कि विझिंजम-नवैकुलम आउटर रिंग रोड परियोजना से प्रभावित हजारों भू-स्वामी अपनी ज़मीन सौंपने के बावजूद मुआवज़े में अत्यधिक विलंब होने की शिकायत कर रहे हैं;

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) परियोजना को पूरा करने की नई समय सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड' के संबंध में डा. जॉन ब्रिटास द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *269 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क), (ख) और (च) विझिंजम से नवैक्कुलम आउटर रिंग रोड परियोजना (तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड) तक ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करने के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 (एनएच 66) के लिए परियोजना संवर्धन के कार्यान्वयन करने के अनुभव के आधार पर सुरंगों और वायाडक्ट के प्रावधानों के साथ पहाड़ियों की कम से कम कटाई के लिए डीपीआर की समीक्षा की गई। निवेश पर निर्णय मानदंड को पूरा करने, यातायात सघनता और पीएम गति शक्ति के साथ तालमेल को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

(ग) वर्तमान में परियोजना में कोई बाधा नहीं है। हालांकि, विभिन्न वैधानिक मंजूरियां, विशेषरूप से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त की जा रही हैं।

(घ) और (ड.) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) की परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार किया जाता है और मुआवजा, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को अनुमोदन दिए जाने के बाद किया जाता है।
